


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## —:कार्यालय आदेश:—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 26.04.2017 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के अन्तर्गत महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, निदेशक, निरीक्षण, राजस्थान जयपुर एवं विभाग के आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण बाबत अनुपालनाएं प्राप्त करने हेतु जयपुर मण्डल का कैम्प कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, अलवर में दिनांक 05.06.17 से 06.06.17 तक आयोजन था। उक्त कैम्प अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिनांक 07.06.17 से 08.06.17 तक निर्धारित किया जाता है।

अतः मण्डल उपनिदेशक माध्यमिक, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कैम्प में निदेशालय के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के नेतृत्व में आने वाले दल को अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों (विद्यालयों सहित) के बकाया अंकेक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना निर्धारित प्रारूप में सक्षम साक्ष्यों सहित अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करें। उक्त कैम्प में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के लेखाकर्मी एवं संबंधित लिपिक अपने अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की सूची एवं पालनाओं के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। समस्त उपनिदेशक उक्त कैम्प की समूचित व्यवस्था करें।

  
वित्तीय सलाहकार


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 24-05-20

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी.-4/17-18/कैम्प/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रधान महालेखाकार (सा.एवं सा.क्ष.ले.प.), राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. स्टॉफ आफिसर, निदेशक निजी अनुभाग (कार्यालय हाजा)।
4. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय, जयपुर/अलवर/दौसा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों की अनुपालनाएं कैम्प में अपने लेखाकर्मी/संबंधित लिपिक के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी आई.सी.पी. अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को ई-मेल एवं विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

D/A.G.-4